ायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
17	17.4.17	21.9.22

उनवान

श्री किशोरी पुत्र श्री शंकरलाल उम्र करीब 93 साल
प्रभूदयाल पुत्र श्री शंकरलाल-----मृतक
1—वीरसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल
2—रामनिवास पुत्र श्री प्रभूदयाल
3—सत्यवीरसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल
4—सतीश कुमार पुत्र श्री प्रभूदयाल
5—रामरति पुत्री श्री प्रभूदयाल
6—बिमलादेवी पुत्री श्री प्रभूदयाल
7—सन्तोष देवी पुत्री श्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी कोशलपुर तहसील किशनगढ़बास
ना अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

हलाद पुत्र मुखराम उम्र 62 साल जाति अहीर निवासी कोशलपुर हाल आबाद
नगढ़बास जिला अलवर राज0।
ुग्रीव पुत्र मुखराम उम्र 52 साल
लालसिंह पुत्र मुखराम उम्र 75 साल जाति अहीर निवासी कोशलपुर तह0 किशनगढ़बास
ा अलवर राज0।
ज0 राज्य जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा 53, 188 आर0टी0एक्ट0 1955

थतिः— श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादी की ओर से।
श्री धर्मपाल यादव वकील प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

ः सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:—

वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा सं0 280 रकबा
)हे0, 281 रकबा 0.4400 हे0, 282 रकबा 0.9000हे0, कुल किता 3 रकबा 1.4000हे0 वाके
गूगलहेडी तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 है। जो आराजी वाद में विवादित
ी कहलाएगी।

हिस्सा मुताबिक जोत बो रहे है लेकिन कागजात माल में कोई बॅटवारा नही है, चूंकि
ादीगण आराजी का बटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नही करा रहे है। प्रतिवादीगण 1
3 से कई दफा आराजी को बॉटने हेतु कहा व खाता अलग कराने हेतु कहा तो मिन
ाण जईफ उल उम्र है वादीगण ने दिनांक 13.4.2017 को कहा कि फसल कट चुकी है
ारा व खाते अलग करा लो, लेकिन प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये । वादीगण को
लात में काश्त करना दुभर हो गया । इसलिए वादीगण आराजी का बाई मिटस एण्ड
ण्ड तकासमा कराने के अधिकारी है।

डिक्री तकासमा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर की जाकर खसरा नं0 280
ा 0.0600हे0, 281 रकबा 0.4400 हे0, 282 रकबा 0.9000हे0, कुल किता 3 रकबा 1.
0हे0 वाके मोजा गूगलहेडी तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0 में वादीगण के नाम
3 हिस्से का अलग खाता कायम किया जावे अलग लगान कायम किया जावे वो राजस्व
ार्ड में इसी प्रकार अमल किया जावे।

अव्वल प्रिलिमनरी डिक्री पारित की जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की जाकर फाइनल
ी पारित कि जावे।

प्रतिवादीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई दवामी पाबन्द किया जावे कि वो उक्त विवादित
ाजी को जरिये रहन बय हिबा लीज इत्यादि के द्वारा दीगर लोगो को बेचान नही करे
ार्ड वो मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब हो बख्शी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस
न किया गया। बाद तामील प्रतिवादीगण की ओर से श्री धर्मपाल वकील ने वकालतनामा
तथा जवाब दावा पेश किया। जवाब दावा पेश कर सहमति दी कि मौके पर कब्जे काश्त
ुसार तकासमा किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नही है। तनकीयात कायम की गई। वादी
साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किये प्रतिवादी साक्ष्य पेश नही करना चाहते है। साक्ष्य प्रतिवादी
की गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई वकील वादी ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया मौके पर कुर्रे कायम कराये जाकर तहसीलदार किशनगढ़बास से कुर्रे कायमी रिपोर्ट की गई। तहसीलदार किशनगढ़बास ने अपने पत्र क्रमांक/भू.अ./2022/2041 –24.08.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल की गई।

कुर्रे कायमी रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील पक्षकारान को कुर्रे कायमी पर सुना गया। पक्षकारों ने दावा वादी मुताबिक कुर्रे कायमी डिक्री कर दिया जाने की सहमति दी।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन तहसीलदार किशनगढबास द्वारा भिजवाई गई कुर्रे कायमी रिपोर्ट अनुसार वाद वादी तकासमा आराजी फाईनल डिकी किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। : आदेश है कि:–

वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि कारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगी:–

सं.	नाम खातेदारान मय वल्दीयत व पता	प्रस्तावित ख. नं.	रकबा	किस्म
	धर्मवीर मूलचंद पुत्रान किशोरीलाल रमेश देवी, सुरेश देवी पुत्रियान किशोरीलाल 1/2 रामनिवास वीरसिंह, सत्यवीर सिंह, सतीशकुमार पुत्रान प्रभुदयाल बिमला देवी रामरती, संतोष देवी पुत्रियान प्रभुदयाल 1/2 जाति अहीर सा0 कौशलपुर खातेदार	282	0.90	बारानी 1
		280/1	0.034	बारानी 2
	लालसिंह, प्रहलाद, सुग्रीव पुत्रान मुखराम अहीर सा0 कौशलपुर खातेदार राहिन हि0 सुग्रीव BRKGB गोठड़ा	281	0.44	बारानी 1
		280/2	0.026	बारानी 2

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिकी का रहेगा, पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले यालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(गंगाधर मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

ालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
17	17.4.17	21.9.22

उनवान

श्री किशोरी पुत्र श्री शंकरलाल उम्र करीब 93 साल
प्रभूदयाल पुत्र श्री शंकरलाल—————मृतक
–वीरसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल
2–रामनिवास पुत्र श्री प्रभूदयाल
3–सत्यवीरसिंह पुत्र श्री प्रभूदयाल
4–सतीश कुमार पुत्र श्री प्रभूदयाल
5–रामरति पुत्री श्री प्रभूदयाल
6–बिमलादेवी पुत्री श्री प्रभूदयाल
7–सन्तोष देवी पुत्री श्री प्रभूदयाल जाति अहीर निवासी कोशलपुर तहसील किशनगढ़बास ा अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

हलाद पुत्र मुखराम उम्र 62 साल जाति अहीर निवासी कोशलपुर हाल आबाद ानगढ़बास जिला अलवर राज0।
सुग्रीव पुत्र मुखराम उम्र 52 साल
लालसिंह पुत्र मुखराम उम्र 75 साल जाति अहीर निवासी कोशलपुर तह0 किशनगढ़बास ा अलवर राज0।
राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा 53, 188 आर0टी0एक्ट0 1955

स्थितिः– श्री भुवनेश तिवाडी वकील वादी की ओर से।
श्री धर्मपाल यादव वकील प्रतिवादी की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

पर्चा डिक्री

वाद वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि
ारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः–

सं.	नाम खातेदारान मय वल्दीयत व पता	प्रस्तावित ख. नं.	रकबा	किस्म
	धर्मवीर मूलचंद पुत्रान किशोरीलाल रमेश देवी, सुरेश देवी पुत्रियान किशोरीलाल 1/2 रामनिवास वीरसिंह, सत्यवीर सिंह, सतीशकुमार पुत्रान प्रभुदयाल बिमला देवी रामरती, संतोष देवी पुत्रियान प्रभुदयाल 1/2 जाति अहीर सा0 कौशलपुर खातेदार	282	0.90	बारानी 1
		280/1	0.034	बारानी 2
	लालसिंह, प्रहलाद, सुग्रीव पुत्रान मुखराम अहीर सा0 कौशलपुर खातेदार राहिन हि0 सुग्रीव BRKGB गोठड़ा	281	0.44	बारानी 1
		280/2	0.026	बारानी 2

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का रहेगा, खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। वली फैसल सुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(गंगाधर मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)